किसान आंदोलन खत्म होने की आस

एजेंसियां
नई दिल्ली, 8 मार्च

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि किसान नेता स्थिति को समझेंगे और अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे।

खाद्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों के साथ चौथे दौर की बात की, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

गोयल ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों का समर्थन करती रही है और उनके साथ खड़ी है।

इस मौके पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार चना, आटा और चावल के साथ भारत मसूर और मूंग की बिक्री कर रही है, जिससे कीमतों में कमी आ सके और उम्मीद है कि आवश्यक जिंसों की कीमतें सीमा के भीतर बनी रहेंगी।

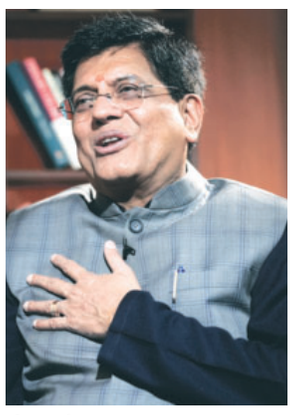

पीयूष गोयल
केंद्रीय खाद्य मंत्री

मंत्री ने कहा, 'कुछ लोगों के प्रचार से भ्रमित न हों। सरकार किसानों के हित को लेकर प्रतिबद्ध है और हम हर किसान के बेहतर भविष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।'

मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री और गृह राज्य मंत्री के साथ उन्होंने किसान नेताओं को बताया है कि सरकार किस तरह से उनके साथ मिलकर काम कर सकती है, जिससे कृषक समुदाय का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके।

गोयल ने पीटीआई के साथ साक्षात्कार में कहा, 'मुझे भरोसा है कि वे स्थिति को समझेंगे और प्रदर्शन खत्म करेंगे।' उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि सरकार उन किसानों से मक्का, कपास और दलहन की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने को इच्छुक है, जो धान की जगह इन फसलों की बोआई करना चाहते हैं।

प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि किसी के साथ बातचीत सतत प्रक्रिया है।

चुनावी बॉन्ड पर 11 मार्च को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों का संविधान पीठ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाला पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की 'जानबूझकर' अवज्ञा की है। *भाषा*

स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 मई से

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 8 मार्च

स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी 20 मई से शुरू होगी। निविदा आमंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग के शुक्रवार को जारी नोटिस के मुताबिक आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है।

आठ प्रमुख स्पेक्ट्रम बैंड के लिए लाइव ई-नीलामी अब से 73 दिनों के लिए होगी। दूरसंचार मंत्रालय ने लंबी अवधि के चरणों की सूचना जारी कर दी है। नोटिस के मुताबिक इसमें बोली लगाने वालों की पूर्व योग्यता की तारीख 6 मई है। बोली लगाने वालों की अंतिम सूची 9 मई को जारी होगी। मॉक नीलामी 13 और 14 मई को होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी को सभी बैंड में 10,523.15 मेगाहट्र्ज की नीलामी के लिए 96,317.65 करोड़ रुपये का मूल्य आरक्षित किया था। बीती बिक्री के दौरान नहीं बिके स्पेक्ट्रम की फिर से नीलामी होगी। इस क्रम में 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहट्र्ज और 26 गीगाहट्र्ज की नीलामी होगी। आवाज और डेटा के लिए बड़े स्तर पर स्पेक्ट्रम की बिक्री होगी।

दूरसंचार कंपनियों को फ्रीक्वेंसी के समझौते की 20 वर्ष तक की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का अधिकार होगा। यदि पहले से स्पेक्ट्रम रखने वाला बोलीदाता नीलामी हासिल कर लेता है तो पहले की तिथि के समझौते की समयसीमा पूरी होने के दिन से नए स्पेक्ट्रम की अवधि मानी जाएगी।

यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस (यूएएल) वाली कंपनियां या पात्रता पूरी करने वाली कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले सकती हैं। सरकार की जारी सूचना के मुताबिक इस लाइसेंस के तहत तार वाली और बिना तार वाली तकनीकें साथ-साथ काम कर सकती है और वे एकल भी कार्य कर सकती हैं।

बहरहाल, एकीकृत लाइसेंस केवल भारतीय कंपनियों को ही दिया जा सकता है। विदेशी आवेदकों को कंपनी गठित करनी होगी या भारतीय कंपनी का अधिग्रहण करना होगा। विदेशी कंपनियां नीलामी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले सकती हैं और भारतीय कंपनी के जरिये आवेदन कर सकती हैं, जहां वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रख सकती हैं। हालांकि भारत की सीमा से लगे देशों के निवेश पर प्रतिबंध कायम हैं।

दूरसंचार कंपनी के क्षेत्र में नए प्रवेश करने वालों के पास लाइसेंस की सेवा शर्तों के अनुसार 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ होनी चाहिए। ऐसे में बोलीकर्ता की जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र में बोली लगाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये की नेटवर्थ भी शामिल है। हालांकि नए कानून के मुताबिक जिस लाइसेंसधारक के पास अभी स्पेक्ट्रम नहीं हैं, उसे नए की तरह माना जाएगा।

नीलामी के लिए एक लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क देना होगा, जो वापस नहीं होगा। नीलामी में लगाई गई बोलियां 30 सितंबर तक के लिए वैध होंगी।

विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि बीती नीलामी की तरह इस नीलामी में भी उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए कम मूल्य की उम्मीद है। इस क्रम में 800 मेगाहट्र्ज और 2300 मेगाहट्र्ज को भी सुस्त प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है जबकि पिछली नीलामी में इन मेगाहट्र्ज के लिए कोई नीलामी नहीं मिली थी।

सरकार ने 1 अगस्त, 2022 को समाप्त हुए पिछले दौर में 72,098 मेगाहट्र्ज की भी नीलामी की थी। इसमें से 51,236 यानी नीलामी के कुल मेगाहट्र्ज में 71 फीसदी की नीलामी हो गई थी और इसका 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य मिला था। इस अंतिम दौर में अल्ट्रा हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी क्षमता वाले 5 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी।

स्पेक्ट्रम बैंड रिजर्व मूल्य (करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज)

	दिल्ली	मुंबई	कोलकाता
800 मेगाहट्र्ज	479	468	153
900 मेगाहट्र्ज	436	389	153
1800 मेगाहट्र्ज	270	264	109
2100 मेगाहट्र्ज	251	196	80
2300 मेगाहट्र्ज	104	103	32
2500 मेगाहट्र्ज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3300 मेगाहट्र्ज	44.8	39.2	16.8
26 गीगाहट्र्ज	1	0.87	0.36

नोट : दूरसंचार मंत्रालय के सर्कल में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेट्रो टेलीकॉम सर्कल हैं

स्रोत : दूरसंचार मंत्रालय

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

MANBA FINANCE

MANBA FINANCE LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Manba Finance Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956 at Mumbai, Maharashtra, pursuant to a certificate of incorporation dated May 31, 1996, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**RoC**"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders as on January 31, 2005 and consequently, the name of our Company was changed to 'Manba Finance Limited'. A fresh certificate of change of name, consequent upon conversion to a public limited company was issued by RoC on January 31, 2005. The RBI granted a certificate of registration dated April 7, 1998 to our Company, under its erstwhile name 'Manba Finance Private Limited' for registration as a NBFC under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 ("**RBI Act**"). Subsequently, the RBI granted a revised certificate of registration dated January 27, 2022, to carry on business of non-banking financial institutions without accepting public deposits. For details of changes in the name and registered office of our Company, see '*History and Certain Corporate Matters*' on page 236 of the draft red herring prospectus dated March 6, 2024 ("**DRHP**") filed with Securities Exchange Board of India on March 7, 2024 ("**SEBI**").

Registered Office: 324, Runwal Heights Commercial Complex, L.B.S Marg, Opp. Nirmal Lifestyle, Mulund (West), Mumbai 400 080, Maharashtra, India; **Tel:** +91 22 6234 6598,
Corporate Office: IT/ ITES Building, Plot No. A-79, Road No. 16, Wagle Estate, Thane 400 604, Maharashtra, India;
Contact Person: Bhavisha Ashish Jain, Company Secretary and Compliance Officer, **E-mail:** investorrelation@manbafinance.com; **Website:** www.manbafinance.com,
Corporate Identity Number: U65923MH1996PLC099938

OUR PROMOTERS: MANISH KIRITKUMAR SHAH, NIKITA MANISH SHAH, MONIL MANISH SHAH, MANBA INVESTMENTS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED, AVALON ADVISORY AND CONSULTANT SERVICES PRIVATE LIMITED, MANBA FINCORP PRIVATE LIMITED, MANBA INFOTECH LLP AND MANISH KIRITKUMAR SHAH (HUF)

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,25,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MANBA FINANCE LIMITED ("OUR COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS ("ISSUE"). THE ISSUE COMPRISES A FRESH ISSUE OF UP TO 1,25,70,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS ("ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [•] EDITIONS OF [•], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITION OF [•], A MARATHI NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED, WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE"SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with Book Running Lead Manager, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Issue is being made through the Book Building process in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (the "**QIBs**" and such portion, "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, (a) not less than 15% of the Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders (out of which one third shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹2,00,000 and up to ₹10,00,000 and two-thirds shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹10,00,000) and (b) not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("**RIBs**") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) and UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter), which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or the Sponsor Bank(s), as the case may be, to the extent of their respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For further details, please see "*Issue Procedure*" beginning on page 411 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and the DRHP which has been filed with the SEBI on March 7, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, the website of the Company at www.manbafinance.com and the website of BRLM, i.e. Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and our Company and Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM in relation to the Issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the Bidders is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 33 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("**RHP**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 236 of the DRHP.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, and capital structure of our Company, please see "*Capital Structure*" beginning on page 84 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
Hem Securities Limited 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4906 0000; **E-mail:** ib@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com **Investor grievance e-mail:** redressal@hemsecurities.com **Contact Person:** Roshni Lahoti **SEBI Registration No.:** INM000010981	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083, India **Telephone:** +91 81081 14949; **E-mail:** manbafinanceipo@linkintime.co.in **Investor grievance e-mail:** manbafinanceipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **MANBA FINANCE LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Bhavisha Ashish Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : March 8, 2024

MANBA FINANCE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, is available on the website of the Company at www.manbafinance.com and the website of BRLM, i.e. Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "*Risk Factors*" beginning on page 33 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in private transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

CONCEPT

रेरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित करे बैंक

राघव अग्रवाल
नई दिल्ली, 8 मार्च

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे एस्क्रो खातों में से धन की निकासी के समय रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा ऐक्ट) 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

रेरा ऐक्ट की धारा 4 (2) (1) (डी) के मुताबिक डेवलपरों को प्रत्येक परियोजना की बिक्री से मिले धन का 70 प्रतिशत रेरा खातों में जमा करना होता है। डेवलपर द्वारा इसका इस्तेमाल निर्माण और भूमि अधिग्रहण पर आने वाले खर्च में ही हो सकता है। बहरहाल इन खातों में से प्रवर्तक द्वारा धन तभी निकाला जा सकता है, जब आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसे प्रमाणित कर दिया हो।

आर्किटेक्ट से मिलने वाले प्रमाणपत्र में निर्माण कार्य पूरा होने के प्रतिशत का ब्योरा होता है कि उस परियोजना में लक्ष्य का कितना निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इंजीनियर के प्रमाण पत्र में प्रत्येक बिल्डिंग या परियोजना की विंग के निर्माण की लागत का ब्योरा होता है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट यह प्रमाणित करता है कि जमीन और निर्माण की लागत का भुगतान किया गया है।

रेरा ऐक्ट 2016 के प्रावधानों के मुताबिक एस्क्रो खातों में से धन तभी निकाला जा सकता है, जब आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए द्वारा प्रमाणपत्र मिल गया हो

ऋण पूंजी से 2,500 करोड़ रुपये जुटाएगी एचडीबी

अभिजित लेले
मुंबई, 8 मार्च

एचडीएफसी बैंक की सहायक इकाई एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज ने कारोबार में वृद्धि के लिए ऋण पूंजी से 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसमें से अधीनस्थ ऋण करीब 2,000 करोड़ रुपये और स्थायी ऋण करीब 500 करोड़ रुपये होगा।

महामारी के बाद संपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव के बाद वित्त कंपनी ने अपने जोखिम प्रोफाइल और सेहत में सुधार किया है, जिससे कर्ज में टिकाऊ वृद्धि बनी रह सके।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसके दोनों इंस्ट्रूमेंट को एएए रेटिंग दी है। क्रिसिल ने कहा है कि यह रेटिंग खुदरा वित्त के क्षेत्र में स्थापित मौजूदगी, बेहतर पूंजीकरण और मूल कंपनी और एचडीएफसी बैंक के बहुसंख्य हिस्सेदारों के निरंतर समर्थन को दर्शाती है।

गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की सकल फंसी ऋण संपत्तियां दिसंबर 2023 में घटकर 2.25 प्रतिशत रह गई हैं जो मार्च 2023 में 2.72 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 को 4.99 प्रतिशत थीं। यह कमी ऋण को बट्टा खाता में डालने और कम चूक की वजह से आई है।

गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की सकल फंसी ऋण संपत्तियां दिसंबर 2023 में घटकर 2.25 प्रतिशत रह गई हैं

एचडीएफसी बैंक की यह इकाई खुदरा फाइनैंस के क्षेत्र की बड़ी कारोबारी है। इसकी प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 31 दिसंबर, 2023 को बढ़कर 83,989 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च 2023 को 70,084 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2022 को 61,444 करोड़ रुपये थी।

31 दिसंबर, 2023 में इसका कुल मिलाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.99 प्रतिशत था, जिससे पता चलता है कि इसका पूंजीकरण बेहतर बना हुआ है।

आर्थिक झटकों का खपत में वृद्धि पर असर

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 8 मार्च

नोटबंदी, जीएसटी लागू किए जाने और उसके बाद कोविड महामारी की वजह से लगातार लगे आर्थिक झटकों के कारण पिछले दशक में खपत में वृद्धि दर उसके पहले के दशक की तुलना में कम रह सकती है। नोमुरा ने शुक्रवार को जारी ताजा एशिया इकनॉमिक मासिक रिपोर्ट में यह कहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में खपत दो लगातार चले खपत सर्वे (2011-12 और 2022-23 की अवधि के दौरान वृद्धि दर) में चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) इसके पहले की अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। वैश्विक निवेश बैंकर ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा फरवरी में जारी ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वे (एचसीईएस) का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला है। नोमुरा की गणना के मुताबिक 2012 से 2023 के बीच जहां वास्तविक ग्रामीण खपत 3.1 प्रतिशत सीएजीआर रही है, यह 2010-12 के बीच 6.6 प्रतिशत थी। इसी अवधि के दौरान वास्तविक शहरी खपत में वृद्धि इस दौरान 2.6 प्रतिशत रही है, जो पहले 5.2 प्रतिशत थी। 2005-10 की अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी खपत वास्तविक आधार पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बढ़ी है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'अगर हम महंगाई दर के लिए उचित तरीके का इस्तेमाल कर उसे व्यय में से घटा दें तो हम वास्तविक खपत व्यय में इसी सीएजीआर के हिसाब से गिरावट पाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह गिरावट महंगाई की वजह से नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले दशक में नोटबंदी, जीएसटी लागू होने और महामारी जैसे झटकों का असर पड़ा है।'

श्रीलंका से पांच लाख टन सुपारी का आयात होगा

ब्रिटेन स्थित कंपनी एसआरएएम एंड एमआरएएम ग्रुप ने श्रीलंका से पांच लाख टन सुपारी का आयात करने के लिए समझौता किया है। समूह ने कहा कि सुपारी के आयात के लिए श्रीलंका स्थित कंपनी प्राइम स्टार प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्राइम स्टार के पास व्यापार-मुक्त क्षेत्रों में प्रति माह न्यूनतम 25,000 टन प्रसंस्करण क्षमता वाली इकाइयां हैं। सुपारी के आयात की मात्रा लगभग 500,000 टन प्रति वर्ष होगी। *भाषा*

बीएस सूडोकू 4917

			6	4				3
							1	8
				8	7	5		4
	5	8				4		
3	9	4	5			1		7
	1		4	3		8	5	2
	3	9		7				
8				1			9	5
7			9		2			

परिणाम संख्या 4916

1	8	5	9	6	2	4	3	7
4	2	6	3	7	1	5	8	9
3	9	7	4	5	8	1	6	2
2	6	1	8	9	4	3	7	5
8	5	4	7	1	3	9	2	6
7	3	9	5	2	6	8	4	1
6	7	8	1	4	9	2	5	3
5	1	3	2	8	7	6	9	4
9	4	2	6	3	5	7	1	8

कैसे खेलें ?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★☆☆☆☆

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।